

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ) 10(35)नावेवि/3/2010

जयपुर, दिनांक :-

08 JUL 2010
1 JUL 2010

सचिव,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
राजस्थान जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अजमेर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/दीकानेर/आदू जिला सिरौही/
कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।
सन्दर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.06.2010

सहायक,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके दिन्दु संख्या 1 पर निर्देश दिये गए थे कि "यदि किसी भूमि का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर में प्रभावी मास्टर प्लान के भिन्न है तो ऐसे प्रकरणों में दो वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा।"

राज्य सरकार द्वारा इस दिन्दु पर सभ्य स्तर पर पुनर्विचार किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निस्तारण हेतु इस दिन्दु को संशोधित रूप से निम्नानुसार बदला जावे :-

"प्रचलित मास्टर प्लान जो प्रभावशील है का अनुशरण आवश्यक है। अतः तदनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाये ता कि प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार जो अभी प्रभावी नहीं हुआ है।"

कृपया इस संशोधन के अनुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,


(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव